निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 69/2019
दायरा दिनांकः–30.07.2019
निर्णय दिनांकः– 30.4.24

उनवान

1. रामचरण आयु 55 वर्ष पुत्र नारायण
2. रामदयाल आयु 50 वर्ष पुत्र नारायण
3. कल्याण आयु 47 वर्ष पुत्र नारायण
4. राजेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र नारायण
5. कंचन बाई आयु 57 वर्ष पुत्री नारायण
6. कजोडी बाई आयु 44 वर्ष पुत्री नारायण जाति मीणा निवासीगण ग्राम नीमथूर तहासील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामरूप आयु 30 वर्ष आत्मज रामकरण
2. फोजमल आयु 18 वर्ष आत्मज रामकरण
3. पार्वती बाई आयु 20 वर्ष आत्मज रामकरण
4. पारसमणी आयु 24 वर्ष आत्मज रामकरण
5. रूकमणी बाई आयु 50 वर्ष पत्नि रामकरण
6. रामस्वरूप आयु 45 वर्ष पुत्र शंकर
7. हरगोविन्द आयु 40वर्ष पुत्र शंकर
8. रामनिवास आयु 38 वर्ष पुत्र शंकर
9. अशोक आयु 36 वर्ष पुत्र शंकर
10. राममूर्ति आयु 42 वर्ष पुत्री शंकर
11. रामपति आयु 34 वर्ष पुत्री शंकर
12. फुला बाई आयु 70 वर्ष पत्नि शंकर
13. कजोड लाल आयु 38 वर्ष पुत्र बदरिया
14. राज बाई आयु 35 वर्ष पुत्री बदरिया
15. कजोडी बाई आयु 60 वर्ष पत्नि बदरिया
16. भंवरिया आयु 70 वर्ष पुत्र धुलिया
17. रामप्रसाद आयु 60 वर्ष पुत्र धुलिया
18. रामरतन आयु 58 वर्ष पुत्र धुलिया जातियान मीणा निवासीगण ग्राम नीमथूर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
19. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 30.4.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री बृजभुषण शर्मा – वादी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

C:\Users\Lenovo\Desktop\firoj all letter folder\Rambabu ji fesla file.docx

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,53,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम नीमथूर तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमि खसरा नम्बर 44/374 रकबा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 47 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा कुल दो किता रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता/पति रामकरण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 एवं प्रतिवादी क्रम 13 ता 15 के पिता/पति बदरिया एवं प्रतिवादी क्रम 16 ता 18 के शामलाती में स्थित है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 13 ता 18 का हिस्सा 1/3 वाके ग्राम नीमथूर तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 59 रकबा 09 बिस्वा खसरा नम्बर 260 रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 261 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 276 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा कुल पांच किता मवाजी 11 बीघा 15 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता/पति रामकरण प्रतिवादी क्रम 6 ता 12 एवं प्रतिवादी क्रम 13 ता 15 के पिता/पति बदरिया के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादीगण का हिससा 1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 13 ता 18 का हिस्सा 1/3 है। ग्राम नीमथूर तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 38 रकबा 11 बिस्वा कुल किता दो रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता/पति रामकरण एवं प्रतिवादी क्रम 6 ता 12 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 का हिस्सा 1/2 है।

उक्त वार्णित भूमियात वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 की पैत्रिक जायदाद है। जिसमें वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 के पिता एवं पूर्वजों द्वारा अपने जीवनकाल में आपसी सहमति से बटवारां कर लिया गया था। तब से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा आज से पांच वर्ष पूर्व वाद पत्र की मद नम्बर 1,2 व 3 में वर्णित अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 को पांती पर जुता दिया था तथा इसके पश्चात् दो वर्ष तक मुनाफा काश्त से प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 को जुताया था। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 द्वारा वादीगण के हिस्से की भूमि के कुछ भाग पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर अपने हिस्से की भूमि की मेड तोडकर मिला लिया है। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को उन्नत बनाने हेतु बैंक से ऋण आदि लेना चाहतें है लेकिन संयुक्त खाता होने के कारण वादीगण अपने हिस्से की भूमि को उन्नत नही बना पा रहे है तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 से अलग करवाने एवं वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन बलपूर्वक किये कब्जे को छोडने की कहने पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 हर बार टालमटुल करते रहते है। वाद का कारण दिनांक 30.05.2019 को पैदा हुआ जब वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 से वाद पत्र की मद नम्बर 1,2,3 में वर्णित भूमि का बंटवारा कर पैमाईश करवाकर वादीगण की भूमि पर जबरन बलपूर्वक किये गये कब्जे को छोडने बाबत कहा तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गए एवं खाता फटाने एवं भूमि पर कब्जा छोडने से मना कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादीगण वाद पत्र की मद नम्बर 1,2,3 में वर्णित भूमियात में अपने हिस्से में आई भूमि को कब्जे अनुसार अच्छी में स अच्छी एवं बुरी में सं बुरी अपने नाम अलग से राजस्वा रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 द्वारा वादीगण की वाद पत्र की मद नम्बर 1,2 व 3 की भूमि पर जबरन बलपूर्वक किए गये कब्जे की भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 18 का अतिक्रमी घोषित करवाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 67 नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 90 पेश की गई साक्ष्य वादी में रामकरण,ग्यारसीराम, श्रीलाल का शपथ पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादीगण सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नीमथूर में स्थित है जो वादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रक सम्पति है। विवादित आराजी का पूर्वजो द्वारा अपने जीवनकाल मे आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया गया था तब से वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण को पांती मुनाफा काश्त पर जुताया था जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की कुछ भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा कर अपनी भूमि में मिला लिया है वादीगण अपने हिस्से की भूमि का पृथक–पृथक बटवारा कर अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहता है जिससे वादीगण को काश्त करने में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नही आये वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण का हिस्सा पृथक–पृथक विभाजन कर अलग खातेदारी में दर्ज`करने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत् 2072–75 खाता सं0 91 में वादीगण का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 का हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 13 ता 18 का हिस्सा दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 67 में वादीगण का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 का हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 13 ता 18 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत् 2072–75 खाता सं0 90 में वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित हेाता है कि खाता संख्या 91 एवं 67 में 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 90 में हिस्सा 1/2 दर्ज है जिसे वादीगण पृथक–पृथक विभाजन करा कर अलग खाता दर्ज करवाना चाहते है वादी अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने के अधिकारी हे वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम नीमथूर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 44/374 रकबा 0.15 बीघा खसरा नम्बर 47 रकबा 1.06 बीघा,खसरा नम्बर 58 रकबा 0.07 बीघा खसरा नम्बर 59 रकबा 0.09 बीघा खसरा नम्बर 260 रकबा 0.08 बीघा खसरा नम्बर 261 रकबा 5.10 बीघा खसरा नम्बर 276 रकबा 5.01 बीघा खसरा नम्बर 32 रकबा 1.04 बीघा खसरा नम्बर 38 रकबा 0.11 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 69/2019	धारा 53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 30.04.2024
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री बृजभुषण शर्मा–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

1. रामचरण आयु 55 वर्ष पुत्र नारायण
2. रामदयाल आयु 50 वर्ष पुत्र नारायण
3. कल्याण आयु 47 वर्ष पुत्र नारायण
4. राजेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र नारायण
5. कंचन बाई आयु 57 वर्ष पुत्री नारायण
6. कजोडी बाई आयु 44 वर्ष पुत्री नारायण जाति मीणा निवासीगण ग्राम नीमथूर तहासील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामरूप आयु 30 वर्ष आत्मज रामकरण
2. फोजमल आयु 18 वर्ष आत्मज रामकरण
3. पार्वती बाई आयु 20 वर्ष आत्मज रामकरण
4. पारसमणी आयु 24 वर्ष आत्मज रामकरण
5. रूकमणी बाई आयु 50 वर्ष पत्नि रामकरण
6. रामस्वरूप आयु 45 वर्ष पुत्र शंकर
7. हरगोविन्द आयु 40वर्ष पुत्र शंकर
8. रामनिवास आयु 38 वर्ष पुत्र शंकर
9. अशोक आयु 36 वर्ष पुत्र शंकर
10. राममूर्ति आयु 42 वर्ष पुत्री शंकर
11. रामपति आयु 34 वर्ष पुत्री शंकर
12. फुला बाई आयु 70 वर्ष पत्नि शंकर
13. कजोड लाल आयु 38 वर्ष पुत्र बदरिया
14. राज बाई आयु 35 वर्ष पुत्री बदरिया
15. कजोडी बाई आयु 60 वर्ष पत्नि बदरिया
16. भंवरिया आयु 70 वर्ष पुत्र धुलिया
17. रामप्रसाद आयु 60 वर्ष पुत्र धुलिया
18. रामरतन आयु 58 वर्ष पुत्र धुलिया जातियान मीणा निवासीगण ग्राम नीमथूर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
19. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम नीमथूर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 44/374 रकबा 0.15 बीघा खसरा नम्बर 47 रकबा 1.06 बीघा,खसरा नम्बर 58 रकबा 0.07 बीघा खसरा नम्बर 59 रकबा 0.09 बीघा खसरा नम्बर 260 रकबा 0.08 बीघा खसरा नम्बर 261 रकबा 5.10 बीघा खसरा नम्बर 276 रकबा 5.01 बीघा खसरा नम्बर 32 रकबा 1.04 बीघा खसरा नम्बर 38 रकबा 0.11 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक......30-4-24......को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:11 IST
Reason: SelfAttested

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		